The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II__खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 19, 2012/चैत्र 30, 1934

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 2012/CHAITRA 30, 1934 No. 7091

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2012

का.आ. 851(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 302(अ) तारीख 8 फरवरी, 2011 के आदेश द्वारों केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन 31 दिसम्बर, 2011 की अविध के लिए किया

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 10(अ) तारीख 3 जनवरी, 2012 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने विधिमान्यता को 7 फरवरी, 2012 की अवधि तक बढ़ा दिया है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पूनर्गठन किया जाना चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यादरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्ते अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) प्राधिकरण का पुनर्गतन, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी दो वर्षों की अवधि के लिए करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1. पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली ।

अध्यक्ष

निदेशक, 2. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान,

सदस्य

मुख्य टाऊन प्लानर टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग आर्गनाईजेशन, गोवा सरकार ।

सटस्य

4.	सदस्य या कोई समतुत्य रैंक का अधिकारी, केन्द्रीय भूजल बोर्ड,	सदस्य	· .
±-	नई दिल्ली ।		
5.	संयुक्त संचिव, (पर्यटन) या उसका प्रतिनिधि,	सदस्य	
,	पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली ।		
6 .	महानिदेशक (मत्स्य),	सदस्य	
	कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली ।		
7.	डा. रामचन्द्रन रमेश,	सदस्य	
	समुद्र प्रबंध संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालयं, चेन्नई ।		é
8	अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद का एक प्रतिनिधि ।	सदस्य	r
9.	श्री आर. सुरेन्द्र प्रसाद.	सदस्य	
1	19, खादर नवाज खान रोड, तीसरा तल, बृंदावन अपार्टमेंट्स		
	चेन्नई - 600 0034		
10.	श्री के.एम. राजन,	सदस्य	
ē	कोट्टाया रू कील, कोसाडी, मदुक्का पोस्ट, मुंडकायम, कोट्टायम,		
	केरल - 686513		
11.	श्री कौशल किशोर,	सदस्य	
	920, नौवां तल, "ए" विंग, कारपोरेट एवेन्यु, सोनावाला रोड,		
	गोरेगांव (पू), मुंबई - 400063		
12.	संयुक्त सचिव या सलाहकार	सदस्य सचिव	ſ

II. प्राधिकरण को तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और उसमें सुधार करने तथा तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

प्रभारी, तटीय जोन प्रबंध ।

- (i) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों का समन्वय करना;
- (ii) राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों से प्राप्त तटीय जोन प्रबंध योजनाओं में तटीय विनियम जोन क्षेत्रों के वर्गीकरण में परिवर्तन और उपांतरणों के प्रस्तावों का परीक्षण करना और उसके लिए केन्द्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ।

- (iii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के उल्लंघन के मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना;
- (ख) मामलों की स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी व्यष्टि या प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उप /पैरा (iii) (क) के अधीन मामलों का पुनर्विलोकन करना ;
- (iv) उप पैरा (iii) (क) के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न होने की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना ; और
- (v) उप पैरा (i) , (ii) और (iii) से उद्भूत पुद्दों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ;
- III. प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार या प्रशासन, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों, संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं या संगठनों को तटीय पर्यावरण के संस्थाण और उसमें सुधार से संबंधित विषयों में यदि वह पाता है कि यह आवश्यक है, तो तकनीकी सहायता देगा और उनका मार्गदर्शन करेगा !
- IV. प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों तथा संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा दिए गए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजना एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाओं और उनमें उपांतरणों की परीक्षा करेगा और उनका अनुमोदन करेगा ।
- V. प्राधिकरण, अंगीकृत करने के लिए साधारण योजना दिशानिर्देशों को परिचालित कराएँगा जिसमें सामान्यतया मामला दर मामला जांच की आवश्यकता को दूर किया जा सके ताकि वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा की गई परीक्षा के आधार पर अधिकांश भाग के लिए अनुमोदन प्रदान करने में सक्षम हो सके ।
- VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन प्रबंध से संबंधित विषयों में, केन्द्रीय सरकार को नीति, येजना, अनुसंधान और विकास, उत्कर्ष और वित्तपोषण केन्द्र स्थापित करने में सलाह दे सकेगा ।
- VII. प्राधिकरण, तटीय विनियम जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाद्यकों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।
- VIII. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों और राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों तथा संघ राज्य क्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों के क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- IX. प्राधिकरण अपनी बैठकों की कार्यसूची औश्र कार्यवृत्त से संबंधित सूचना को इंटरनेट वेबसाइट www.envfor.nic.in सिहत पब्लिक डोमेन पर डालेगा और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति के प्रदर्शन के लिए प्रावधान करेगा ।
- X. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केंद्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।
- XI प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा ।
- XII. इस प्रकार पुनर्गिठेत प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के मीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं. जे-17011/18/1996-आईए-III] राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2012

S.O.851(E)—WHEREAS by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 302(E), dated the 8th February, 2011, the Central Government constituted the National Coastal Zone Management Authority for a period upto the 31st December, 2011;

AND WHEREAS, by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 10(E), dated the 3rd January, 2012, the Central Government extended the validity for a period upto the 7th February, 2012;

AND WHEREAS, the Central Government is of the view that such as the Authority must be reconstituted;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby reconstitutes the National Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons for a period of two years with effect from the date of publication of this Order, namely:-

Secretary
 Ministry of Environment and Forests,
 New Delhi.

- Chairman

2.	Director, National Institute of Oceanography, Goa.	- Member
3.	Chief Town Planner, Town and Country Planning Department, Government of Goa.	- Member
4.	Member or an Officer of an equivalent rank Central Groundwater Board, New Delhi.	- Member
5.	Joint Secretary (Tourism), or his representative Ministry of Tourism, New Delhi.	- Member
6.	Director General (Fisheries) Ministry of Agriculture, New Delhi.	- Member
7.	Dr. Ramchandran Ramesh, Institute of Ocean Management, Anna University, Chennai.	- Member
8.	A representative from Space Application Centre Ahmedabad.	- Member
9.	Shri R. Surendira Prasad, 19, Khader Nawaz Khan Road, Third Floor, Brindavan Apartments Chennai - 600 0034	- Member
10.	Shri K.M Rajan, Kottayarukil, Kosady, Madukka Post, Mundakayam, Kottayam, Kerala -686513	- Member
11.	Shri Kaushal Kishore, 920, Ninth Floor, "A" Wing, Corporate Avenue, Sonawala Road, Goregaon (E), Mumbai –400 063.	- Member
12.	Joint Secretary or Adviser, In-charge of Coastal Zone Management.	- Member Secretary

1383 41/12-2

- II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas, namely:-
 - (i) co-ordination of actions by the State Coastal Zone Management Authorities and the Union territory Coastal Zone Management Authorities under the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act;
 - (ii) examination of the proposals for changes and modifications in classification of coastal zone areas and in the coastal zone management plans received from the State Coastal Zone Management Authorities and the Union territory Coastal Zone Management Authorities and making specific recommendations to the Central Government therefor;
 - (iii) (a) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary, issue directions under section 5 of the said Act;
 - (b) review of cases under sub-paragraph (iii) (a) either *suo-moto*, or on the basis of complaint made by an individual or a representative body, or an organisation functioning in the field of environment;
 - (iv) file complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under clause (a) of sub-paragraph (iii); and

- (v) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i), (ii) and (iii).
- III. The Authority shall provide technical assistance and guidance to the concerned State Government, Union territory Governments or Administrations, the State Coastal Zone Management Authorities, the Union territory Coastal Zone Management Authorities, and other institutions or organisations as may be found necessary, in matters relating to the protection and improvement of the coastal environment.
- IV. The Authority shall examine and accord its approval to area specific management plans, integrated coastal zone management plans and modifications thereof submitted by the State Coastal Zone Management Authorities and Union territory Coastal Zone Management Authorities.
- V. The Authority shall put in place a general planning guideline to be adopted which will ordinarily obviate need for case-by-case examination, enabling it to accord approvals for the most part on the basis of the examination done by the State or Union territory Coastal Zone Management Authorities.
- VI. The Authority may advise the Central Government on policy, planning, research and development, setting up of centres of excellence and funding, in matters relating to Coastal Regulation Zone Management.

VII. The Authority shall deal with all environmental issues relating to coastal regulation zone which may be referred to it by the Central Government.

VIII. The Authority shall furnish report of its activities and the activities of the State Coastal Zone Management Authorities and Union territory Coastal Zone Management Authorities at least once in six months to the Central Government.

IX. The Authority shall place information regarding the agenda and minutes of its meetings in the public domain, including through Internet website www.envfor.nic.in, and shall create provision for displaying of status of proposals received from State and Union territories.

- X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
- XI. The Authority shall have its headquarters at New Delhi.
- XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so re-constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. J-17011/18/1996-IA-III] RAJIV GAUBA, Jt. Secy.